

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकरू (जयपुर)

बनाम पत्रावली
60/2020

आज्ञा संख्या	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
6/2021	<p>पत्रावली, नं. 60/2020 कन्वैनेंस <u>बेरोशापिकाप</u> दिनांक 2-8-2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी चाकरू</p>	
24/6/21	<p>पत्रावली पत्रावली पत्रावली के प्रार्थना पत्र पर पेश हुई वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि प्रकरण तत्काल व स्थाई निषेधाज्ञा का है जिससे पूर्व में प्राथमिक डिफ़ी दिनांक 21.7.20 को होना दोनों पक्षों की स्मृति से दुरेगात रिपोर्ट द्वारा की जाकर पेश हो चुकी है कि पर दोनों पक्ष स्मृत हैं उक्त दुरेगात से किसी भी पक्षों को कोई आपत्ती नहीं है न ही दुरेगात धरुणा दावा डिफ़ी किसे जाने पर आपत्ती है। प्रकरण के पूर्व में भी कसप हुनी जा चुकी है। उक्त पक्षों दावा डिफ़ी किसे जाने मुलाकिक दुरेगात (स्मृत है)। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मुलाकिक दुरेगात डिफ़ी किया जाता है एक तस्वीलदार चाकरू को वादी एवं प्रतिवादी के दुरेगात धरुणा खाना - कालग-2 किसे जाने के आदेश दिने जाते हैं। नम्बे दुरेगात डिफ़ी व निर्णय के फाट रहेगे। उक्ताधरुणा डिफ़ी गयी है। निर्णय की पासना हेतु तस्वीलदार चाकरू को निवा जाके। पत्रावली ईलल धरुणा होकर नम्बे ले कस होकर दाविल दफतर हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
चाकरू (जयपुर)